तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सीताराम बनाम शंकर** **अपील संख्या 2025/1462**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.03.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस कथन रहा है कि अपीलार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष ग्राम बास बीलवा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 101 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 0.03 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टयर में से 1/4 भाग व खसरा नम्बर 126 रकबा 0.24 कुल किता 1 कुल रकबा 0.24 हैक्टयर के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 04.08.2007 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, अब वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य कोई वाद–विवाद शेष नही रहा है। इसलिये अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष विचाराधीन अपील में आगे कोई कार्यवाही नही कर अपील को विड्रो करना चाहते है। अतः अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील विड्रो के आधार पर खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को विड्रा कर खारिज करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है। (वे.सरवण कुमार) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	